



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत वितरण खाण्ड-द्वितीय, उरई

विद्युत नगर, नू-तल,
33/11 डीपी० उपकेंद्र
अलीन बुर्गी के पास
जालीन रोड, सुशील नगर,
उरई- 225101

पत्रांक 1977 / वि०वि०खंड-द्वितीय उरई/निजी नलकूप/पूर्ण जमा योजना ऑनलाईन
विषय- निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु। Recd no: 1008256957 Date: 31.03.2023
श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम राहराई महेवा।

दिनांक 30/05/23

मीटर ID	9621546711
विधा	एल०एम्०वी०-5
नलकूप संयोजन 11 एच०पी०	

महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक 31/03/2023 के सन्दर्भ में आपका सुविधा किया जाता है कि आपके नलकूप के लिए 11 एच०पी० (नलकूप) मीटर जमा करती के लिये निरिज में 120 साठ की रकम का भ्रान की गयी है।

अ	फिक्स लाइन चार्ज	2036.00
ब	मीटर पनमारी	2921.00
ग	लाइन चार्ज	1,10,130.00
घ	सिग्नोरिटी	3300.00
ङ	चार्ज-	0.00
योग		1,26,387.00

- मीटर निरीक्षण शुल्क कोशासक्तिय कोष में 0043 विद्युत पर कर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क को अन्तर्गत रूपया 1200.00 जमा करना होगा।
- आपको अपने कनेक्शन के लिये स्वयं भण्डार केंद्र उरई से अपने वाहन द्वारा सामान ढुलाई करनी होगी।
- आपको अपना घग्घ हाउस बनाने हेतु ईट, बालू, सीमेन्ट का प्रबंध करना पडता है। उक्त उरई में उपर्युक्त वस्तुओं की आपसकारता मात्र अपनी लाइन/कनेक्शन हेतु भी देय होगी।
- कनेक्शन हेतु लाइन व उपकेंद्र बनाने में जो मजदूर की आवश्यकता पडता है उसका प्रबंध आपको ही करना पडेगा।
- साईट पर लाइन बनाने समय उल्लान व्यवधाना [ROW] के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

8 सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल अन्तिम खम्भे तक एमिल मटर फीट तथा उपकेंद्र के लिये होगी, जिनको मात्र विहित दर के अनुसार होगी-
प्रति खम्भा..... सीमेन्ट 08 बोरी बालू 03 घन फीट, मिट्टी 08 घन फीट
प्रति उपकेंद्र..... सीमेन्ट 06 बोरी बालू 03 घन फीट, मिट्टी 06 घन फीट

7 आपके कार्य करने के लिये..... मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको उरई लिखी शर्तें मान्य तो तो आप कितने मजदूरों के साथ 10/00 रुपये से दोपहर 12:00 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में आवर एनीमेंट पर हजरत करे।

- 1- नोन जुडिशियल 100.00 रु० जनरल स्टाम्प तथा 100.00 रसीदी टिकट।
- 2- कपर लिखी रुशि जमा करने के परयात जमानत व सचित लाइन चार्ज के रूपये की रसीद की आवश्यकति।
- 3- एक फोटो प्रमाणित।
- 4- निवास प्रमाण पत्र।

8. संयोजन अनुबंध के समय संयोजन से सम्बन्धित सभी प्रपत्र सही नाम पता सहित मूल प्रपत्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। सही प्रपत्र उपलब्ध न कर पाने की रिधात में अनुबंध निरस्त माना जायेगा। प्रपत्र-अ खराब, खताना, खीर प्रमाण पत्र, 10रु के स्टाम्प पर नोटरी एक्डेकविट फोटो सहित यदि सहसहकार है तो अलग-2 स्टाम्प पर सहमति पत्र फोटो सहित, 81 रु० पहचान पत्र की फोटो एवं आधार कार्ड की फोटो कापी, कोठी के सानने आवेदक की फोटो, मोटर की रसीद (जी०एस०टी०), 10 रु० का स्टाम्प प्रमाण (दुधाने/गणनोटी सहित)।

आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी। ई०एल० फार्म व मीटर टेकनेशन फार्म (माटर सुधारने के लिये टैजरी चलान सहित) अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता के पास जमा कर दें। तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्त के साथ टी०सी० की धनराशि 90 दिनों तक जमा नहीं करते है तो यह सम्झा जायेगा कि आपका कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और प्रकथन शल्क रु० 100.00 भी जमा हो जायेगी। और टी०सी० निरस्त कर दी जायेगी।

9 क्षेत्र में पडने वाले सड़क के बीचो बीच से सिग्लिन रोड के लिए 8 मी० डबल रोड में 2.5 मीटर दूर लाइन को बनाना सम्भिरित करें यदि इसको अन्तर बनाते है तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे।

10 जिस भी एम्प्लोका के नाम निजी नलकूप का संयोजन है अगर उसकी मूलु टा जमाई है तो 15 दिन के अन्दर उसके परिजन सर्वोक्त का नाम परिवर्तन करवाले अन्यथा की स्थिति में सर्वोक्त अर्थ मात्र जायेगा।

11 परिवर्तक से नलकूप के परिसर तक एल०वी० कनेक्शन आवश्यक हो तो आप


अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल वि० नि० खंड उरई

पत्रांक / वि०वि०खंड-द्वितीय उरई/निजी नलकूप/पूर्ण जमा योजना ऑनलाईन
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल उरई।
2. उपखाण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखाण्ड, सुशील।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता विद्युत वितरण उपखाण्ड उरई।
4. अनुबंध विधिक, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई।

अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल वि० नि० खंड उरई

अभिल एम्प्लोका द्वारा स्वयं देय होगी।